रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

विश्वविद्यालय में 20 जनवरी से होने वाली परीक्षाएं अब 27 जनवरी से

जबलपुर 17 जनवरी। विश्वविद्यालय में दिनांक 17.01.2022 को आयोजित ऑनलाईन विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में दिनांक 20 जनवरी, 2022 से प्रारंभ होने वाली समस्त परीक्षाएं एक सप्ताह के लिए स्थगित की जाकर अब दिनांक 27 जनवरी, 2022 से प्रारंभ होंगी।

माननीय कुलपति प्रो. कपिल देव मिश्र की अध्यक्षता एवं कुलसचिव प्रो. बृजेश सिंह की उपस्थिति में आयोजित बैठक में पूर्व में घोषित परीक्षाओं की समय सारणी को संभाग में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्थगित करने और नई समय सारणी जारी करने का निर्णय लिया गया। परीक्षा समयसारणी में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जायेगा कि एक दिन में केवल एक ही संकाय की परीक्षा आयोजित की जाये। बैठक में माननीय कुलपति प्रो. मिश्र ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि आगामी परीक्षा में आयोजन के दौरान नई कोरोना गाईड लाईन का अक्षरशः पालन किया जाये। बैठक में संकायाध्यक्ष प्रो. राकेश बाजपेयी, प्रो. एस.एस. पाण्डेय, प्रो. सुरेन्द्र सिंह, प्रो. अलका नायक, प्रो. धीरेन्द्र पाठक, परीक्षा नियंत्रक प्रो. एन.जी. पेण्डसे, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. विवेक मिश्र एवं उपकुलसचिव डॉ. दीपेश मिश्रा उपस्थित रहे।

विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ चुनाव आज
कोविड गाईडलाइन का पालन अनिवार्य

विश्वविद्यालय में गैर शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ चुनाव कोविड गाईडलाइन का पालन करते हुए आज दिनांक 18.01.2022 को सम्पन्न कराये जायेंगे। इस संबंध में चुनाव अधिकारी प्रो. राकेश बाजपेयी जी द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान दो गज की दूरी, मास्क लगाना अनिवार्य, सेनेटाइजेशन के साथ–साथ कोविड–19 हेतु समय–समय पर शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्यरूप से पालन सुनिश्चित किए जाने हेतु कहा गया है।

दो गज की दूरी - मास्क है जरूरी – सेनेटाइजेशन करें

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ वर्ष 2022 निर्वाचन दिनांक 18/01/2022 मतदान एवं मतगणना

सभी व्यक्तियों के लिए पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान आवश्यक निर्देश -

- चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों के दौरान हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना हाथों को सेनेटाइज करना एवं दो गज की दूरी का पालन अनिवार्य होगा, इसके बिना प्रवेश वर्जित रहेगा।
- चुनावी कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हॉल/कक्ष के प्रवेश द्वार पर सभी लोग मास्क लगाकर थर्मल स्कैनिंग करायेगें और सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण रूप से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन करेंगे।
- मुख्य प्रशासनिक भवन के प्रवेश द्वार से केवल निर्वाचन कार्य में संलग्न अधिकारी/कर्मचारी तथा मतदाता ही प्रवेश करेंगे।
- यह सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति स्वयं महामारी से सक्रमित नहीं है, वह आइसोलेशन के अंतर्गत तो नहीं है तथा उसके परिवार या निकट का काई व्यक्ति संक्रमित तो नहीं है। ऐसी स्थिति में इन व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा।
- कर्मचारी समूह में एकत्रित /जुलूस/रैली इत्यादि नहीं करेंगे और कोविड प्रोटोकाल का पूर्ण रूप से पालन करेंगे।
- मतदान कक्ष में केवल मतदाता पंक्तिबद्ध (सोशल डिस्टेंसिंग के साथ) प्रवेशित होंगे।
- मतगणना के समय केवल प्रत्याशी अथवा उनके प्रतिनिधि ही कोविड नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेसिंग के अनुसार हॉल में उपस्थित होंगे।
- मतगणना के पश्चात समूह जुलूस/रैली आदि का आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

आदेशानुसार

(प्रो. राकेश वाजपेयी)
चुनाव अधिकारी
रानी दुगावती शैक्षणेत्तर कर्मचारी संध